E Content for the student of Patliputra University

Subject Political science

B.A. (Hons.) Part II Paper III

Topic – Fundamental Rights in India

Dr. Umesh Chandra Shukla
Asso. Prof. Political Science
R.R.S. College, Mokama

भारतीय संविधान निर्माता मौलिक अधिकार के महत्व से अवगत थे। 1928 के नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने इसका प्रावधान किया था। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था मौलिक अधिकारों के प्रावधान के बगैर नहीं चल सकती। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। संविधान द्वारा सात मौलिक अधिकार प्रदान किये गये थे, उनमें संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया, इसप्रकार अब केवल छः मौलिक अधिकार हैं।

1 समानता का अधिकार (Right to Equality)

संविधान की धारा 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसका प्रावधान निम्न रूपेण है –

(1) कानून के समक्ष समानता (Equality before Law) – संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा। इसमें कानून के समक्ष समानता (Equality before law) ब्रिटेन की व्यवस्था तथा कानून का समान संरक्षण (Equal Protection of Laws) अमेरिकी व्यवस्था की देन है। यह अधिकार सबों को प्राप्त है – चाहे भारत के नागरिक हों या यहाँ आये विदेशी। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य विशेष उद्देश्य से नागरिकों का तर्कसंगत एवं उचित वर्गीकरण नहीं कर सकता है। यदि कानून कर लगाने के संबंध में या महिलाओं और पुरुषों की सुविधा में भेद करता है तो उसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं माना जायेगा।

Scanned with CamScanner

(ii) सामाजिक समानता (Social Equality)

संविधान की धारा 15 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस आधार पर दुकानों, सार्वजनिक स्थलों, कुओं, तालाबों, सड़कों के उपयोग से किसी को नहीं रोका जायेगा। अपवाद स्वरूप स्त्रियों एवं बच्चों एवं शिक्षा तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार राज्य को होगा।

(iii) अवसर की समानता – (Equality of opportunity) –

संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रावधान किया गया है कि राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। धर्म, जाति, मूलवंश लिंग, जन्मस्थान, निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। संविधान में इसके तीन अपवादों का प्रावधान है – (क) संसद निवास स्थान संबंधी शर्तें लगा सकती है, (ख) जिन जातियों का लोकसेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो उनके लिए आरक्षण किया जा सकता है, (ग) धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में उसी संप्रदाय या धर्म के सदस्य हो सकते हैं।

(iv) अस्पृश्यता की समाप्ति – (Abolition of untouchability)

संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। यह एक दण्डनीय अपराध है। किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध है।

(v) उपाधियों की समाप्ति – (Abolition of Titles) – अनुच्छेद 18 के अनुसार सेना, शिक्षा ~~संबंधी~~ संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य प्रकार की उपाधियाँ नहीं दी जायेंगी। भारतीय नागरिक कोई विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत में भारत रत्न जैसे कुछ पद्म सम्मानों का प्रावधान है।

Scanned with CamScanner

(ङ) स्वतंत्रता का अधिकार - (Right to Freedom)

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है।

(i) अनुच्छेद 19 के द्वारा 6 स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। वे हैं—

(क) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने तथा विचारों का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें ही शामिल है। किन्तु इन स्वतंत्रताओं पर सात प्रतिबंध भी हैं— राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार एवं नैतिकता, न्यायालय का अपमान, मान हानि तथा हिंसा को प्रोत्साहन।

(ख) शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के सम्मेलन की स्वतंत्रता प्राप्त है किन्तु सार्वजनिक व्यवस्था की दृष्टि से इसे सीमित किया जा सकता है।

(ग) संघ एवं समुदाय बनाने की स्वतंत्रता नागरिकों को दिया गया है। इसे भी सार्वजनिक व्यवस्था एवं नैतिकता की दृष्टि से रोका जा सकता है।

(घ) देश में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता प्राप्त है बशर्ते की उसपर सार्वजनिक हित के नाम पर रोक न लगा हो।

(च) देश में कहीं भी निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इस पर भी सार्वजनिक हित में प्रतिबंध लगा सकते हैं

(छ) वृत्ति, व्यापार, जीविका की स्वतंत्रता। इसके लिए भी राज्य कई शर्तें लगा सकती है

इसप्रकार विशेष स्थिति में उपर्युक्त स्वतंत्रताओं को निषेधित करने का अधिकार सरकार को है

(ii) अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संदर्भ में संरक्षण :— किसी व्यक्ति को तभी अपराधी घोषित किया जा सकता है जब न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश दिया गया हो। न्यायालय द्वारा ही उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 20 द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है।

Scanned with CamScanner

(III) जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण – संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा किसी व्यक्ति को अपने जीवन तथा शारीरिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से भी वंचित नहीं किया जा सकेगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस अधिकार को आपात काल में भी लागू नहीं किया जा सकता है।

(IV) बन्दी तथा नजरबन्दी से बचाव – संविधान के अनुच्छेद 22 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अन्दर किसी न्यायाधीश के अनुमति के बगैर बन्दी बनाकर नहीं रखा जा सकता है। इसके दो अपवाद हैं – व्यक्ति अन्य देशीय शत्रु हो तथा निवारक निरोध कानून के अन्तर्गत बंदी बनाया गया हो।

3 शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation)

संविधान की धारा 23 और 24 द्वारा व्यक्ति को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 23 बेगारी प्रथा बंधुआ मजदूर प्रथा को गैर कानूनी घोषित करता है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम के विरुद्ध प्रावधान है।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)

संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता एवं उसके प्रबंधन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन व्यक्ति अपने अन्तःकरण की स्वतंत्रता पर कोई धर्म अपनाने, आचरण करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 26 द्वारा धार्मिक मामले के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अनुसार धार्मिक न्यासों के लिए दान देने पर कर की छूट दी गई है। अनुच्छेद 28 में राज्य द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था में धार्मिक शिक्षा पर रोक है।

Scanned with CamScanner

सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights)

संविधान की धारा 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30(1) के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान खोलने एवं उसका प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30(11) के अनुसार राज्य ऐसे किसी संस्था को सहायता देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

संविधान की धारा 32 द्वारा उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति उत्पन्न न होने दे। इसके लिए दोनों न्यायालयों को लेख (writs) जारी करने की शक्ति है। ये हैं -(1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण - बन्दी बनाये गये व्यक्ति को उपस्थित करने का आदेश।

(11) परमादेश - पदधारक या संस्था को अपना कर्तव्य पालन करने का आदेश।

(111) प्रतिषेध - अधीनस्थ न्यायालय को मामला की कार्यवाही स्थगित करने का आदेश।

(1v) उत्प्रेषण लेख - अधीनस्थ न्यायालय को किसी विचाराधीन मुकदमे को ऊपर के न्यायालय में भेजने का आदेश।

(v) अधिकार पृच्छा - किसी व्यक्ति के अवैध चयन, नियुक्ति या निर्वाचन को रिक्त घोषित करने का आदेश।

इन लेखों के माध्यम से न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है।

इस प्रकार भारतीय संविधान नागरिकों के लिए व्यापक अधिकार का प्रावधान करता है जो यहाँ की बहुसंस्कृति लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय आदर्शों के अनुकूल है।

Scanned with CamScanner